न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः–जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 11/2025
वादपत्र अन्तर्गत धारा :– 88 आरटीए

दविन्द्र सिह पुत्र परमदीप सिह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया।

बनाम

1. गुरदेव सिह पुत्र मुखत्यार सिह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया।
2. जसवीर सिह पुत्र मुखत्यार सिह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया।
3. वीरपालकौर पत्नी अजमेर सिह पुत्री मुखत्यार सिह जाति जटसिख निवासी गार्डन रेाज 3 पुली श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर राज.
4. छिन्द्रपाल कौर पत्नी सुरेन्द्र पाल सिह पुत्री मुखत्यार सिह जाति जटसिख निवासी गार्डन रेाज 3 पुली श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर राज.
5. परमदीप सिह पुत्र साधूसिह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
6. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

उपस्थित – 1. श्री प्रेमचन्द भारद्वाज एडवोकेट (वादी)
2. विनोद शर्मा एडवोकेट (प्रति.सं. 1 ता 5)

निर्णय

दिनांकः– 8.4.2025

अधिवक्ता वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्य निम्नाअनुसार है कि वादी एवं प्रतिवादी एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। वादी के दादा और प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के पिता मुखत्यार सिंह सगे भाई थे। प्रतिवादीगण के नाम से चक 16 एमजेडी ज.सं. 2071–2074 जमाबन्दी 2078 वर्ष 2022 से स्थायी के खाता सं. 42/7 में 2.783 है. गहरी कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 गुरदेव सिंह के नाम से 708/2783 हि. यानि 0. 708 है प्रतिवादी सं. 2 जसवीर सिंह के नाम से 708/2783 हि. यानि 0. 708है.. प्रतिवादी सं. 1 ता 4 की माता तेज कौर के नाम 355/2783 हि. यानि 0.355 है. कृषि भूमि हिस्सानुसार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त भूमि प्रतिवादीगण की विरास्तन कृषि भूमि है जो कि प्रतिवादीगण को उनके पिता से उनकी मृत्यु के पश्चात् प्राप्त हुई है। प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संलग्न वाद–पत्र है। प्रतिवादी सं. 1 ता 4 की माता तेज कौर की मृत्यु हो चुकी है। मृत्युउपरान्त प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ही तेजकौर की कृषि भूमि के जायज मालिक एवं काबिज है। तेज कौर के प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के अलावा अन्य कोई वारिस नही है। प्रतिवादी सं. 1 व 2 वादी के परिवार में दादा है। प्रतिवादी सं. 3 व 4 चादी की परिवार में बुआ दादी है। प्रतिवादी सं. 1 ता 4 ने पूर्व में घरू बंटवारा में चक 15 एमजेडी के खाता सं. व खाता सं. 29/27 व चक 21 30/27 व इसी चक के खाता सं. 65/49 एएमपी के खाता सं. 24/11 व चक 22 एएमपी के खाता सं. 46/14 में कृषि भूमि प्राप्त कर ली है। चक 16 एमजेडी के खाता सं. 42/7 में प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 4 की माता तेज कौर के नाम दर्ज कृषि भूमि पूर्व में ही बंटवारा में वादी एवं वादी के पिता को प्राप्त हुई थी लेकिन उस समय राजस्व रिकॉर्ड में उक्त बंटवारानुसार अंकन नहीं हो सका है। अब प्रतिवादी सं. 1 ता 4 उक्त चक 16 एमजेडी के खाता सं. 42/7 में दर्ज कृषि भूमि वादी को दे दी है। उक्त भूमि में प्रतिवादी सं. 1 ता 4 अपना हक व हिस्सा नहीं रखना चाहते है। अतः वादी प्रतिवादी सं. 1 ता 4 तथा उनकी माता के नाम दर्ज कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी एवं दावेदार है। प्रतिवादी सं. 5 वादी का पिता है। प्रतिवादी सं. 5 ने अन्य कृषि भूमि प्राप्त कर ली है। प्रतिवादी सं. 1 ने वाद पत्र की चरण सं. 3 में दर्ज चक 16 एमजेडी के खाता सं. 42/7 में बंटवारा में गुरदेव सिंह, जसवीर सिंह व तेज कौर से प्राप्त कृषि भूमि अपने पुत्र वादी को दे दी है, अब प्रतिवादी सं. 5 बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं रखना चाहता है। अतः वादी उक्त कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

करवाने का अधिकारी एवं दावेदार है। वादी ने पिछले सप्ताह प्रतिवादी सं. 1 ता 4 से निवेदन किया कि वे वादी को वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि में अपने नाम दर्ज भूमि के घरेलु बंटवारानुसार वादी को खातेदार काश्तकार होना मान कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम दर्ज करवा देवे तो प्रतिवादी सं. 1 ता 4 वादी के इस न्यायोचित निवेदन से स्पष्ट इनकार हो गई। बस यही वाद कारण है। प्रतिवादी सं. 5 को भू-धारक होने के कारण औपचारिक पक्षकार बनाया गया है, जिनके विरूद्ध कोई प्रत्यक्ष अनुतोष नही चाहा गया है। वादी का वाद उचित न्यायशुल्क पर प्रस्तुत है, जो कि माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न प्रकार से डिकी फरमाया जावें प्रतिवादीगण के नाम से चक 16 एमजेडी ज.सं. 2071-2074 जमाबन्दी 2078 वर्ष 2022 से स्थायी के खाता सं. 42/7 में 2.783 है. नहरी कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 गुरदेव सिंह के नाम से 708/2783 हि. यानि 0.708 है., प्रतिवादी सं. 2 जसवीर सिंह के नाम से 708/2783 हि. यानि 0.708 है., प्रतिवादी सं. 1 ता 4 की माता तेज कौर के नाम 355/2783 हि. यानि 0.355 है. कृषि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त खाता से गुरदेव सिंह, जसवीर सिंह व तेज कौर का नाम कलमजन किया जावें।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रति.सं. 1 ता 5 ने जरिये अधिवक्ता जवाबदावा प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं. 6 राज पैरोकार तहसीलदार (राजस्व) संगरिया की ओर से जबाव प्रस्तुत किया गया। जिसमें राज्य हित को विपरीत प्रभावित किये बिना वादी को याचित अनुतोश प्रदान करने में कोई आपत्ति नहीं की गई। प्रकरण में विवाधक न बनना पाये जाने पर साक्ष्य वादी रिकार्ड की गई। वादी ने अपने साक्ष्य में आदेश 18 नियम 4 व्या.प्र.संहिता का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया तथा निम्नानुसार दस्तावेज प्रदर्श करवायेः-

1. चक 15 एमजेडी खाता सं. 30/27 जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 की जमाबंदी प्रदर्श 1
2. चक 15 एमजेडी खाता सं. 65/49 जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 की जमाबंदी प्रदर्श 2
3. चक 15 एमजेडी खाता सं. 29/27 जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 की जमाबंदी प्रदर्श 3
4. चक 21 एएमपी खाता सं. 24/11 जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 की जमाबंदी प्रदर्श 4
5. चक 22 एएमपी खाता सं. 46/14 जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 की जमाबंदी प्रदर्श 5
6. चक 16 एमजेडी खाता सं. 42/7 जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 की जमाबंदी प्रदर्श 6
7. चक 16 एमजेडी की परचा खतौनी की प्रमाणित प्रति।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादी ने कथन किया कि चक चक 16 एमजेडी खाता सं. 42/7 जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 की वादग्रस्त आराजी है जो हमारी जद्दी जायदाद है। बहस में यह भी कथन किया कि वादी के वाद का प्रतिवादी ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र को स्वीकार किया जावे है। पैतृक सम्पति साबति करने हेतु बतौर साक्ष्य में वकील वादी ने चक 16 एमजेडी की परचा खतौनी की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई है के आधार पर वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित होने से वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादी एवं प्रतिवादी एक ही परिवार के सदस्य है। वादग्रस्त आराजी वाद पत्र के वर्णितानुसार प्रदर्श 6 मे प्रतिवादीगण के नाम है जो चक 16 एमजेडी की परचा खतौनी की प्रमाणित प्रति से पैतृक साबित है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने जरिये अधिवक्ता जवाबदावा प्रस्तुत कर वाद को स्वीकार किया है। जिससे वाद पत्र के तथ्यों की पुष्टि हो रही है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादी साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

आवश्यकता नहीं है। वादी के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया गया। प्रकरण में सहमति का जवाबदावा पेश हो चुका है। परिणाम स्वरूप वाद वादी मुताबिक सहमति/पैतृक अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी उक्त विवेचन के आधार पर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि:– चक 16 एमजेडी खाता सं. 42/7 जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 में 2.783 है. नहरी कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 गुरदेव सिंह के नाम से 708/2783 हि. यानि 0.708 है., प्रतिवादी सं. 2 जसवीर सिंह के नाम से 708/2783 हि. यानि 0.708 है., प्रतिवादी सं. 1 ता 4 की माता तेज कौर के नाम 355/2783 हि. यानि 0.355 है. कृषि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त खाता से गुरदेव सिंह, जसवीर सिंह व तेज कौर का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।

अतः पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 8.4.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास में सुनाया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया